BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV | 24th September 2014 | No. 14

नेपाल में पदस्थापित भारत की महावाणिज्यदूत श्रीमती अंजु रंजन के साथ नेपाल के व्यवसायियों के शिष्टमंडल के साथ चैम्बर के सदस्यों की द्विपक्षीय व्यापारिक मुद्दों पर परिचर्चा

- बिहार व नेपाल के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे– श्रीमती अंजु रंजन, महावाणिज्यदूत
- नेपाल सरकार भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान करे– श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बायीं ओर क्रमशः महावाणिज्यदूत श्रीमती अंजु रंजन, काउंसुलेट श्री एस. एम. अख्तर। दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 09 सितम्बर 2014 को नेपाल के बीरगंज में पदस्थापित भारत की महावाणिज्यदूत श्रीमती अंजु रंजन के साथ आये नेपाल के व्यवसायियों के शिष्टमंडल और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों की एक बैठक हुई जिसमें द्विपक्षीय व्यापारिक मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर काउंसुलेट श्री एस० एम० अख्तर भी उपस्थित थे। सबों का पुष्प गुच्छ देकर चैम्बर के पदाधिकारियों ने स्वागत किया।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के बीच MOU हस्ताक्षर करने के मुद्दे पर चैम्बर की कार्यकारिणी में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बिहार-नेपाल के व्यापार में उत्पन्न समस्याओं एवं उसके निदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह भारत ने नेपाल को ''मोस्ट फेवर्ड नेशन'' का दर्जा दिया है, उसी तरह नेपाल को भी भारत को ''मोस्ट फेवर्ड नेशन'' का दर्जा प्रदान करना चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि

नेपाली व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

महावाणिज्यदूत श्रीमती अंजु रंजन को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

काउंसुलेट श्री एस. एम. अख्तर को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बीरगंज चैम्बर के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वैद्य को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को स्मृति-चिह्न भेंट करते बीरगंज चैम्बर के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वैद्य।

बीरगंज चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार तेमानी को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

हितोडा चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री अरूण राज सुमार्गी को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को स्मृति-चिह्न भेंट करते हितोडा चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री अरूण राज सुमार्गी।

बीरगंज चैम्बर के वरीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार केडिया को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

यदि नेपाल अपनी सीमा में ट्रेन की सुविधा विकसित करे, तो सड़क परिवहन पर होने वाले व्यर्थ के व्यय और समय दोनों की बचत होगी। बिहार की सीमा से सटे नेपाल के बीरगंज, विराटनगर, भद्रपुर, धुलाबाड़ी, राज वराज, जनकपुर तथा मांडेर जैसे प्रसिद्ध व्यवसायिक एवं औद्योगिक शहर हैं, जहाँ बिहार से सीधे व्यापार की अत्यधिक संभावनाएँ हैं।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा बिहार और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ाने की अत्यधिक संभावनाएँ हैं। जल्द ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल नेपाल जाएगा, जहाँ जिस निवेश की संभावनाएँ होंगी वहाँ निवेश की कोशिश होगी। श्री अग्रवाल ने महावाणिज्यदूत श्रीमती अंजु रंजन को भारत एवं नेपाल के बीच उद्योग-व्यापार में होने वाली कठिनाईयों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। जिसमें भारत में नेपाल से वस्तुओं के निर्यात को शुल्क मुक्त किए जाने का जिक्र किया। इस संबंध में आवश्यक प्रावधान कर भारत से नेपाल निर्यात में वस्तु लदे वाहनों से शुल्क वसूली खत्म करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट की सड़कों का निर्माण शीघ्र पूरा करने, व्यापारिक मार्गों को दुरूस्त करने, नेपाल में बैंको से व्यापारिक लोन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने, वेतन भुगतान में कटौती की व्यवस्था शिथिल करने के साथ नेपाल में ऑन लाईन प्रक्रिया को दुरूस्त करने का आग्रह किया गया है।

महावाणिज्यदूत श्रीमती अंजु रंजन ने कहा कि बिहार-नेपाल का संबंध काफी पुराना है। बिहार के लिए नेपाल में पूंजी निवेश के रास्ते खुले हैं। पर्यटन, स्वास्थ्य, होटल आदि के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं लेकिन नेपाल के उद्यमी

चितवन चैम्बर के वरीय उपाध्यक्ष श्री चुननारायण श्रेष्ठ को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को स्मृति-चिह्न भेंट करते चितवन चैम्बर के वरीय उपाध्यक्ष श्री चुननारायण श्रेष्ठ।

जनकपुर चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री अभिषेक झुनझुनवाला को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

हितोडा चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री विजय कुमार को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चितवन चैम्बर के सदस्य श्री राजेन्द्र औली को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

हितोडा चैम्बर के सदस्य श्री सौगत प्याकुयेर्ल को स्मृति-चिह्न भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

किसी दूसरे देश में पूंजी निवेश नहीं कर सकते। नेपाल सरकार ने वहाँ के उद्यमियों के लिए दूसरे देश में पूंजी निवेश का प्रावधान नहीं किया है। बिहार के उद्यमी नेपाल आयें, जहाँ भी आवश्यकता होगी उसमें हर संभव मदद दी जाएगी।

बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वैद्य ने कहा कि बिहार की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पहले डर सताता था कि बिहार आकर नेपाल लौट पायेंगे या नही। लेकिन, अब बिहार के मॉडल की बात नेपाल में होती है। नेपाल में मिनरल्स, टुरिज्म, एग्रिकल्चर, हेल्थ में निवेश की काफी संभावनाएँ हैं।

बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक कुमार तेमानी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल दौरे के क्रम में कहा था कि नेपाल आने में 17 साल लग गये। हमलोंगो को बिहार आने में 30 साल लग गये। बिहार का उपयोग केवल ट्रांजिट के रूप में हो रहा है। यहाँ के उत्पादों का आयात-निर्यात होना चाहिए। रक्सौल से बीरगंज की दूरी तीन किलोमीटर है पर इसमें चार-पाँच दिन लग जा रहा है। रक्सौल में चैम्बर को शाखा खोलनी चाहिए।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हितोडा के पूर्व अध्यक्ष श्री अरूण राज सुमार्गी ने कहा कि बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को व्यापारिक दृष्टि से भी जोड़ने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त नेपाली प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित बीरगंज चैम्बर के वरीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार केडिया, चितवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वितीय वरीय उपाध्यक्ष श्री चुननारायण श्रेष्ठ, जनकपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री अभिषेक झुनझुनवाला, हितोडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य श्री विजय कुमार, चितवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री राजेन्द्र औली एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हितोडा के सदस्य श्री सौगत प्याकुर्येल ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने नेपाली भाषा में उनका स्वागत किया और अपने विचार व्यक्त किए। इसके अतिरिक्त महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, कम्युनिकेशन सब-कमिटि के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन सहित कई लोगों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की तरफ से वैशाली के अशोक स्तम्भ का प्रतीक चिन्ह प्रतिनिधिमंडल के लोगों को प्रदान किया गया एवं प्रतिनिधिमंडल की तरफ से भी चैम्बर अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर चैम्बर सदस्य एवं मीडियाबंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

चैम्बर द्वारा संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट

सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में श्रीमती गीता जैन, श्री एम. पी. जैन एवं अन्य।

भारत सरकार एवं बिहार सरकार का कौशल विकास पर काफी जोर है और आगामी पाँच वर्षो में बिहार में एक करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य है। इस वर्ष का लक्ष्य 16 लाख का है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास के कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु एक गवर्निंग काउन्सिल बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण, उनमें कौशल एवं हुनर में वृद्धि एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने तथा उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने हेतु बिहार सरकार काफी प्रयत्नशील है। बिहार सरकार के इस सद्प्रयास को मूर्त्त रूप देने एवं अपनी भागीदारी निभाने तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने प्रांगण में एक नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि० के सहयोग से स्थापित किया है। जिसकी समन्वयक श्रीमती गीता जैन हैं।

इस प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2014 को हुआ था। इसके प्रथम बैच का प्रशिक्षण 10 फरवरी, 2014 से प्रारम्भ हुआ। प्रथम बैच में दो पालियों में 70 महिलाओं ने प्रशिक्षण ग्रहण किया। प्रत्येक पाली 3 घंटे की थी और 35-35 प्रशिक्षु महिलाएँ प्रत्येक पाली में थी। 30 अप्रैल, 2014 को प्रथम बैच का समापन हुआ ।

प्रशिक्षण केन्द्र का दूसरा बैच 01 मई, 2014 से प्रारम्भ हुआ। इस बैच में 75 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। प्रथम बैच की भाँति दूसरा बैच भी 2 पालियों में हुआ। प्रत्येक पाली 3 घंटे की थी। इस सत्र का समापन भी 31 जुलाई, 2014 को हुआ। दोनों बैच में प्रशिक्षण दो प्रशिक्षिकाओं सुश्री ममता सिन्हा एवं श्रीमती दुर्गा बनर्जी द्वारा दिया गया, जिन्हें मानदेय चैम्बर द्वारा दिया जाता है। चैम्बर कार्यालय की सुश्री माधवी सेन गुप्ता इस प्रशिक्षण केन्द्र की इंचार्ज है ।

दोनों बैच की प्रशिक्षु महिलाओं को मुख्यत: 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें :- जांघिया, 6 कली का पेटीकोट, 4 कली का पेटीकोट, सिम्पल फ्रॉक, बेबी फ्रॉक, तकिया कवर, बेबी पैंट, नाईटी, पैजामा, ब्लाउज, सलवार तथा समीज आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मेंहदी कला का प्रशिक्षण भी दिया गया। चैम्बर ने प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भवन अपने हाते में नि:शुल्क उपलब्ध कराया है। सिलाई मशीन एवं आवश्यक फर्निचर आदि भी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए खरीदकर उपलब्ध कराया है ।

चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्री नवीन वर्मा, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव उद्योग विभाग, श्री गंगा कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के राजदूत एवं अन्य अधिकारियों, बीरगंज स्थित कस्टम कार्यालय में नियुक्त भारतीय कन्सुलेट जनरल श्रीमती अंजु रंजन एवं अन्य अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जा चुका है और सबों ने चैम्बर के इस प्रयास की अत्यंत सराहना की है।

समुह नृत्य प्रस्तुत करती प्रशिक्षु महिलाएं।

समुह नृत्य प्रस्तुत करती प्रशिक्षु महिलाएं।

प्रशिक्षु महिलाओं द्वारा डांडिया की प्रस्तुति।

दिनांक 01 अगस्त, 2014 का दिन चैम्बर के लिए अत्यंत सौभाग्य एवं संतोष का दिन था क्योंकि इस प्रशिक्षण केन्द्र के प्रेरणास्रोत श्री नवीन वर्मा, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग ने प्रथम एवं द्वितीय बैच की प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किया तथा चैम्बर द्वारा 11 प्रशिक्षण प्राप्त एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर महिलाओं को सिलाई मशीन नि:शुल्क प्रदान किया गया ताकि वे पूर्ण रूप से स्वावलंबी बन सकें। इस महती कार्य में चैम्बर के जिन सदस्यों का सहयोग रहा, वे हैं– महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा (5 मशीन), श्री रामाशंकर प्रसाद (5 मशीन) एवं श्री आशीष शंकर (1 मशीन)। चैम्बर उनके इस महित कार्य के लिए आभार प्रकट करता है। उक्त अवसर पर श्री संजय कुमार, भा०प्र०से०, सचिव श्रम संसाधान विभाग भी उपस्थित थे।

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के तीसरे बैच का प्रारम्भ दिनांक 04 अगस्त, 2014 से हो गया है। इस बार भी दो पालियों में 35-35 महिलाएँ प्रशिक्षण ले रही हैं। इस बैच में भी पूर्व की भाँति मुख्य रूप से सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जा रहा है। दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण केन्द्र में ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने मनमोहक नृत्य, नृत्य-नाटिका, डांडिया एवं अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन ने किया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली प्रशिक्षणार्थियों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली प्रशिक्षु महिलाओं का उत्साहवर्द्धन किया। इस अवसर पर श्री एम० पी० जैन भी उपस्थित थे।

टर्किस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के साथ चैम्बर में विचार-विमर्श

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को स्मृति-चिह्न भेंट करते टर्किस इण्डियन चैम्बर के बोर्ड मेम्बर श्री सबन कुशुकजोरोग्लु। बाँयें से प्रथम टर्किस चैम्बर के सचिव श्री आमिर अली। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्य।

दिनांक 03 सितम्बर, 2014 को टर्किस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के बोर्ड मेम्बर श्री सबन कुशुकजोरोग्लु एवं वरिष्ठ सचिव श्री आमिर अली चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल से मिले।

उन्होंने टर्की में हो रहे आर्थिक विकास से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टर्की से भारत में खसखस, ऑटो कम्पोनेंट, मार्बल, टेक्सटाईल, मशीनरीज, कारपेट, जीरा, सोना इत्यादि निर्यात होता है। जब कि भारत से टर्की को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सूती धागे, स्टील, कारपेट, कार, सीसेम सिड, मोबाईल, वस्त्र एवं परिधान, एंटीबायोटिक, ग्रेनाईट इत्यादि निर्यात किया जाता है। उन्होंने बताया कि भारत की लगभग 150 कंपनीज टर्की में काम कर रही है जिसमें GMR Infrastructure, TATA Motors, Mahindra & Mahindra, Reliance, Aditya Birla Group, Wipro एवं Dabur प्रमुख हैं।

उन्होंने बताया कि टर्किस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रत्येक वर्ष टर्की में अलग-अलग सेक्टर में वर्ल्ड ट्रेड ब्रिज प्रोग्राम आयोजित करता है जिसमें अलग-अलग देशों से बहुतायत संख्या में कंपनीज भाग लेती है। इस वर्ष यह प्रोग्राम 14-15 नबंम्बर, 2014 को आयोजित किया जा रहा है जिसमें भागीदारी लेने हेतु उन्होंने चैम्बर के सदस्यों को आमंत्रित किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री विशाल टेकरीवाल एवं रेनोभीजन एक्सपोर्ट प्रा० लि० के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

वैट व प्रवेश कर की खामियां दूर हों

पेटा के वार्षिक आम सभा को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने कहा है कि किसी भी राज्य का विकास हर ट्रेड के व्यापारियों के सहयोग से होता है। पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन (पेटा) को चाहिए कि वह राज्य के विकास में सहयोग करे। दिनांक 14.9.2014 को एसोसिएशन के पदभार ग्रहण समारोह का

उद्घाटन करते हुए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन को बने तीन साल हुए हैं, लेकिन एसोसिएशन ने कई सामाजिक कार्य किए हैं। उन्होंने एसोसिएशन के पदधारकों से राज्य स्तर पर एसोसिएशन बनाने की मांग की।

निवर्त्तमान सचिव संदीप सर्राफ ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही वैट एवं प्रवेश कर में विसंगतियों को दूर करने के लिए संघ ने कई बार सरकार से गुहार लगाई है। बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे बिजली व्यापारियों को करोड़ों रूपए का नुकसान हो रहा है। पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में बिजली व्यापारी पिछड़ जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। कार्यक्रम में रमेश अग्रवाल ने अध्यक्ष, अनिल रितोलिया ने सचिव एवं संजय तोतला ने कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। साथ ही अजय अग्रवाल एवं विशाल अग्रवाल ने उपाध्यक्ष और राजेश सिंह तथा शशि भूषण ने संयुक्त सचिव का पदभार संभाला। मौके पर 300 पदाधिकारी उपस्थित थे। **(हिन्दुस्तान 15.09.2014)**

राज्य सरकार ने विश्वकर्मा पूजा के दिन को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को राज्य सरकार ने विश्वकर्मा पूजा के दिन को ''श्रम कल्याण दिवस'' के रूप में मनाया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय श्रम मंत्री श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से राज्य सरकार सूबे के निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को अनुदान 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर औद्योगिक वातावरण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

माननीय श्रम मंत्री ने कहा कि मजदूरों को सही मजदूरी कैसे मिले, उनका कौशल विकास कैसे हो, प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच अच्छा संबंध बने, यह देखना भी सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास रहता है कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर नियोजकों द्वारा अच्छे मजदूरों को उनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित कराया जाए। श्रमिकों के कल्याण के लिए नियम प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेका मजदूरों के संबंध में परामर्शदातृ समिति का शीघ्र गठन किया जाएगा। श्रमिकों के सम्मान में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

इस अवसर पर श्रमायुक्त श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

धन्यवाद ज्ञापन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण हेतु चैम्बर भी प्रयासरत है। कुछ नियम-कानून के प्रावधान भी प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच आपसी सौहार्द मे बाधक हैं। उन प्रावधानों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने या सरल करने की आवश्यकता है ताकि बेहतर औद्योगिक वातावरण बना रहे। इसके लिए चैम्बर सदैव सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। चैम्बर अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि श्रम विभाग को जब भी चैम्बर की आवश्यकता होगी, चैम्बर हर संभव मदद को तैयार रहेगा।

श्रम कल्याण दिवस का उद्घाटन करते माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी। उनकी दाँयीं ओर श्रमायुक्त श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं श्री गजनफर नवाब। उनकी बाँयीं ओर बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री चन्देश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता सिन्हा, श्री चन्द्र प्रकाश सिंह।

इस अवसर पर बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री चन्देश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी, उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता सिन्हा, मजदूर युनियन इंटक के नेता श्री चन्द्र प्रकाश सिंह एवं एटक के नेता श्री गजनफर नवाब, श्री आर० एन० ठाकुर सहित श्रम विभाग के वरीय अधिकारी, नियोक्ता, श्रमिक तथा मिडियाकर्मी उपस्थित थे।

चैम्बर में चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में विचार करने हेतु असाधारण आम सभा की बैठक सम्पन्न

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की असाधारण आम सभा की बैठक दिनांक 30.08.2014 को चैम्बर सभागार में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की। यह असाधारण आम सभा कार्यकारिणी समिति की उस अनुसंशा पर आयोजित की गई जिसमें चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति पर नही पहुँच सकी और इसलिए कार्यकारिणी ने वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ पूरे मुद्दे को असाधारण आम सभा के समक्ष प्रस्ताव के निर्णय हेतु रख दिया। असाधारण आम सभा में जो प्रस्ताव रखे गये उन पर सदस्यों के संबोधन के पश्चात् मतदान कराया गया।

RESULT OF VOTING

ITEM NO.- 1

1. Not to give number on Ballot Paper but number can be given on other related papers and accordingly amend the Clause No. - 15 of the Election Bye-laws of the Chamber

VOTING STATUS

TOTAL VOTE POLLED	INVALID	ASSENT	DISSENT
246	4	239	3

ITEM NO.- 2

2(a) Voting by Zone-1 members by presence in person & other than Zone-1 members by postal ballot & vice -versa opportunity in both cases if applied in writing before prescribed time;

Or

2(b) Voting in person by presence for all members;

Or

2(c) Continue with present voting system

VOTING STATUS

TOTAL VOTE POLLED	INVALID	2a		2b		2c	
		ASSENT	DISSENT	ASSENT	DISSENT	ASSENT	DISSENT
247	9	9	–	16	–	213	–

ITEM NO.- 3

3(a) Tenure of committee members & office bearers be increased from existing term to 2 yrs;

Or

3(b) Tenure of committee members & office bearers be increased from existing term to 3 yrs;

Or

3(c) Tenure of committee members & office bearers be increased from existing term to 5 yrs;

Or

3(d) Continue with the existing Provision.

VOTING STATUS

TOTAL VOTE POLLED	INVALID	3a		3b		3c		3d	
		ASSENT	DISSENT	ASSENT	DISSENT	ASSENT	DISSENT	ASSENT	DISSENT
247	5	19	–	–	–	1	–	221	1

सरकार खरीदेगी एसएमई से 10 फीसदी सामान

लघु, छोटे और मझोले उद्यमियों की मदद के लिए बिहार सरकार ने अब उनसे अपनी जरूरत का 10 फीसदी सामान खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य सरकार अब एक उत्पाद डायरेक्ट्री भी बना रही है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.9.2014)**

रजौली में परमाणु बिजलीघर जल्द

नवादा के रजौली में स्थापित होने वाले परमाणु बिजलीघर की बाधा दूर हो गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग इसके लिए एक नए डिजाइन के लाइट वाटर रिएक्टर (एलडब्लयुआर) स्थापित करेगा। ऐसे रिएक्टर अभी महाराष्ट्र के तारापुर में हैं। यह तकनीक पुरानी है, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग इसमें कुछ बदलाव कर बिहार के लिए नए रिएक्टर तैयार करने के पक्ष में है।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने रजौली में 700-700 मेगावाट के दो रिएक्टर स्थापित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। बिहार सरकार इसके लिए जमीन देने को तैयार है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रतन कुमार सिन्हा ने हिन्दुस्तान को बताया कि नवादा में दो परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना की योजना को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। बिहार हिमालय के निकट है, इसलिए वहां भूकंपीय खतरे आदि का आंकलन हो रहा है। संयंत्र जहां लगने हैं, वहां पानी की कमी है। इसके लिए बख्तियारपुर से गंगा से नहर के जरिये पानी लाने की योजना है, जो सौ किमी दूर है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.9.2014)

मीटर सील टूटने पर नहीं मानी जाएगी बिजली चोरी!

बिजली मीटर का सील टूटने को विद्युत कंपनियां बिजली चोरी मान लेती हैं। उपभोक्ताओं पर दंड के साथ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। इस मुद्दे पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग में जन सुनवाई हुई। आयोग के अध्यक्ष यू. एन. पजियार ने कंपनी से पूछा कि सील टूटने के लिए उपभोक्ता कैसे दोषी होगा? सील टूटने की स्थिति में मीटर जांच के बाद ही पता चलेगा कि उपभोक्ता बिजली चोरी कर रहा है या नहीं। विद्युत कंपनी के अभियंता इस बात पर अड़े रहे कि उपभोक्ता सील तोड़कर बिजली की चोरी करते हैं। उपभोक्ता भी अड़े रहे कि सील टूटने को बिजली चोरी नहीं माना जाना चाहिए। आयोग इस मुद्दे पर अगले 15 दिनों में अपना फैसला सुना देगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.9.2014)

पेशाकर जमा करने वालों को रिटर्न फाइल से मुक्ति

पेशाकर जमा करने वालों को रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह व्यवस्था केवल व्यक्तिगत पेशाकर जमा करने वालों के लिए की है। अगर कोई डॉक्टर खुद निजी प्रैक्टिस करता है, तो वह वाणिज्य कर विभाग में पेशाकर जमा तो करेगा लेकिन पेशाकर का रिटर्न फाइल नहीं करेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति को यह सुविधा नहीं मिलेगी। सरकारी एवं निजी संस्थाओं को जून में वाणिज्य कर विभाग में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इधर विभाग ने आयकर विभाग से बिहार में इनकम टैक्स जमा करने वाले लोगों का आंकड़ा मांगा है। ताकि जो पेशाकर नहीं दे रहे हैं उनसे टैक्स वसूला जा सके।

पेशाकर का स्लैब

राशि	टैक्स
3 लाख तक	00
3 से 5 लाख तक	1000
5 से 10 लाख तक	2000
10 लाख से ऊपर	2500

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.9.2014)

वाणिज्य कर के हर तीन प्रमंडल पर होगा एक वसूली कोषांग

बंगाल की तर्ज पर बिहार में वाणिज्य कर वसूली कोषांग बना है। इसका काम मुख्य रूप से वसूली में तेजी लाना है। इससे जिलों में डीएम के ऑफिस में पड़े सर्टिफिकेट केस पर अमल कर राजस्व बढ़ाने की कवायद तेज होगी। कोषांग की जिम्मेदारी एक ज्वाइंट कमिश्नर (जेसी), एक डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और तीन असिस्टेंट कमिश्नर (एसी) को दी गई है।

वाणिज्य कर विभाग के बकाया यों ही डीएम के यहां वसूली के लिए पड़ा रहता है। जिला प्रशासन के पास इतना काम रहता है कि वहां से वाणिज्य कर विभाग के सर्टिफिकेट. पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वसूली कोषांग गठन होने के बाद यह काम अब विभाग के अधिकारी खुद करेंगे। वसूली कोषांग को मुख्यालय स्तर पर अपर कमिश्नर देखेंगे, जबकि तीनों कोषांग में एक जेसी, एक डीसी, तीन एसी और एक दर्जन के करीब ऑफिशियल स्टाफ रहेंगे। कोषांग का एक मुख्यालय पटना, एक पूर्णिया और एक मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कोषांग के गठन से विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर , 15.9.2014)

टैक्स समय से भरें, इनाम पाएं व्यापारी

वाणिज्य कर विभाग नियामित रूप से टैक्स देने वाले व्यापारियों को भामासाह सम्मान व वाणिज्य कर रत्न के साथ-साथ नगद पुरस्कार देगा। सरकार की ओर से ऐसे व्यापारियों को कई सुविधाएं भी दी जांएगी।

विभाग के अनुसार असंगठित वर्ग के वैसे व्यापारी जो पिछले तीन सालों से औसतन 25 प्रतिशत की वृद्धि दर से टैक्स दे रहे हों, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं, संगठित क्षेत्र के वैसे व्यापारी जो एक करोड़ से अधिक टैक्स भरते हों और पिछले तीन सालों से औसतन 20 प्रतिशत वृद्धि की दर से टैक्स दे रहे हों, वे सम्मानित किए जाएंगे। यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दिए जाएंगे। विभाग ने वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए हाल ही में व्यापारियों को सम्मानित किया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.9.2014)

जीएसटी की अड़चन होगी दूर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राज्यों की समस्याओं का समाधान कर उनके साथ सहमति बनाने की खातिर वित्त मंत्रालय ने आखिरकार बीच का रास्ता निकाल ही लिया है। राज्यों और केंद्र के बीच कुछ विवादास्पद मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। इसमें से एक है, राज्यों की ओर से संविधान में ऐसे प्रावधान की मांग, जो प्रस्तावित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के कारण घाटा होने की स्थिति में उन्हें मुआवजे का अधिकार दे। वित्त मंत्रालय एक अन्य कानूनी ढांचा तैयार कर रहा है, जिससे राज्यों का विश्वास बना रहे और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत नहीं पड़े।

पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधानिक रूप से जीएसटी से बाहर रखने की राज्यों की विवादास्पद मांग पर केंद्र इसे नई व्यवस्था में शामिल करने का प्रस्ताव देगा, लेकिन इस पर शून्य फीसदी कर लगेगा। दरअसल राज्यों के कुल राजस्व में पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाले शुल्क की हिस्सेदारी 26 फीसदी है। पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर या मूल्य वर्द्धित कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही होगा जबकि इस पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केंद्र अपने पास रखेगा। इस तरह केंद्र और राज्यों के राजस्व को सुरक्षित रखा जा सकेगा और जीएसटी श्रृंखला भी नहीं टूटेगी। हालांकि प्रवेश शुल्क को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की राज्यों की मांग पर केंद्र इस बात पर अडिग है कि इसे नई कर व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर राज्यों की मांग पर वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिससे राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम इसे जीएसटी में शामिल करने लेकिन इस पर कर नहीं लगाने का सुझाव दे रहे हैं। इस प्रस्ताव पर कुछ राज्यों के साथ चर्चा हुई है और उनकी ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल करना आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए बडी जरूरत है। इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखने से कर के मामले में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इससे ऑडिट करने में समस्या आएगी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली और राजस्व सचिव शक्तिकांत दास खुद राज्यों के वित्त मंत्रियों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्रात समूह की अगली बैठक से पहले इस मामले पर सहमति बनाई जा सके। राज्यों के वित्त मंत्री और कुछ अधिकारी चीन के जीएसटी मॉडल के अध्ययन के लिए इस महीने के अंत में चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। उनके चीन से लौटने के बाद यह बैठक अगले महीने हो सकती है। जीएसटी मुआवजे की मांग पर अधिकारी ने बताया, 'राज्य इसके लिए संविधान में संशोधन की मांग क्यों कर रहे हैं? अहम बात विश्वास है। क्या इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है? हम एक कानूनी ढांचे की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके जरिये मुआवजा दिया जा सके।'

हालांकि यह नया कानूनी ढांचा कैसा होगा इस बारे में अधिकारी ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। लेकिन मुमकिन है कि अगले महीने अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला चौदहवां वित्त आयोग राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए प्रक्रिया का सुझाव दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता वाला आयोग इस मामले पर अपना नजरिया बताने के लिए राज्यों के साथ मुलाकात कर रहा है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.9.2014)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

संख्या:- पटना दिनांक:

बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स एक्ट, 2006 की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद द्वारा पूर्व अधिसूचना संख्या-700, दिनांक 10.05.2006 को अधिकांत करते हुए आवेदनों के प्रोसेसिंग हेतु निम्नलिखित समय-सीमा निश्चित करती है:

क्रमांक	क्लियरेन्स का नाम	एक्ट के अधीन निर्धारित समय सीमा	संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकार का नाम
1	भूमि सम्परिवर्तन की सहमति	45 दिन	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
2	**एच० टी० कनेक्शन** (क) पावर फिजिबिलिटी (ख) इस्टीमेट चार्ज उद्यमियों को निर्गत करना (ग) उद्यमी द्वारा कार्य करने के पश्चात विद्युत आपूर्त्ति हेतु चीफ इलेक्ट्रीकल इन्सपेक्टर की स्वीकृति	 10 दिन 45 दिन 15 दिन	ऊर्जा विभाग
3	औद्योगिक क्षेत्र/ प्रांगण में जमीन/ शेड का आवंटन	30 दिन	बिआडा
4	रेक्टिफाईड स्प्रीट एवं डिनेचर्ड स्प्रीट के उपयोग एवं पोजेशन हेतु अनुज्ञाप्ति पर निर्णय	15 दिन	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
5	डिस्टलरी के लिए आशय पत्र पर निर्णय	30 दिन	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
6	(क) वैट का निबंधन (ख) प्रवेश-कर का निबंधन (ग) सी०एस०टी०का निबंधन (घ) टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट	15 दिन 30 दिन 15 दिन 7 दिन	वणिज्य-कर विभाग
7	अग्निशामक का अनापत्ति	15 दिन	गृह विभाग
8	(क) जलापूर्त्ति के लिए आवश्यक स्वीकृति (ख) पानी का कनेक्शन दिया जाना	7 दिन 23 दिन	जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
9	नदी/ पब्लिक टैंक से पानी लेने की अनुमति	30 दिन	जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
10	फूड ग्रेन लाईसेन्स	15 दिन	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
11	जल/वायु अधिनियम के तहत् इकाई की स्थापना / संचालन हेतु सहमति	(अधिकतम) 4 माह	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
12	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहमति	45 दिन	ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक : 1405 पटना दिनांक 04.09.2014

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह० /-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आएगी उद्योगों में जान !

बीमार घोषित हो चुकी औद्योगिक इकाइयों में सरकार फिर से जान फूंकेगी। इसके लिए उद्योग विभाग ने 50 करोड़ का 'रिवाल्विंग फंड' (चक्रीय निधि) बनाया है। बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) और बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम (बीसीको) के माध्यम से रुग्ण घोषित हो चुकी इकाइयों को 5 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इन्हें बैंकों से भी कर्ज दिलाएगी, हालांकि बीमार उद्योग इकाइयों को बैंक कर्ज देने से अबतक परहेज करते रहे हैं।

• **बीएसएफसी को मिलेंगे 25 करोड़** रुग्ण पड़ी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयों को इनके जरिए मिलेगा कर्ज • **बीसीको को भी मिलेंगे 25 करोड़** रुग्ण पड़े मध्यम उद्योग इकाइयों को इससे मिलेगा लोन • **किसी एक इकाई** को चक्रीय निधि से दिया जाने वाला सोफ्ट लोन बैंक के साथ मिलकर किए जाने वाले कन्सोर्टियम फिनांस का 30 प्रतिशत, अधिकतम 2.5 करोड़ तक होगा • **प्रत्येक तीन माह** पर पुनर्वास के लिए बनी शीर्ष समिति मूल्याकन करेगी। राशि का दुरुपयोग होने पर रिवाल्विंग फंड की वसूली करने का बीएसएफसी या बीसीको को निर्देश देगी।

बैंक भी देंगे लोन, कैबिनेट से मंजूरी के बाद बनी नियमावली

"यह नया प्रयोग है। जो इकाइयाँ रुग्ण हो जाती हैं, उन्हें फिर से खड़ा होने के लिए बैंक लोन नहीं देते। रिवाल्विंग फंड से उन्हें 30 प्रतिशत और बैंक से 70 प्रतिशत लोन हम दिलाएंगे। राज्य सरकार जब इन्हें कर्ज देगी तो बैंको का भी इन पर विश्वास जगेगा।"**–डा. भीम सिंह,** उद्योग मंत्री

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 8.9.2014)

फूड पार्क (इंटीग्रेटेड फूड जोन) योजना हेतु अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया

फूड पार्क (इंटीग्रेटेड फूड जोन) योजना में अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है जिससे सम्बन्धित उद्योग विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 861 दिनांक 3.9. 2014 की प्रति चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है तथा इसे सदस्यों के बीच ई-मेल द्वारा परिचालित भी कर दिया गया है। फिर भी यदि किसी सदस्य को आवश्यकता हो तो वे चैम्बर कार्यालय से इसकी फोटो प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

राज्यों में खुलेगी दवा मूल्य निगरानी इकाई

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) खुदरा स्तर पर कीमतों पर निगरानी की कवायद के तहत देश भर में मूल्य निगरानी इकाइयों की स्थापना की योजना बना रहा है। ये इकाइयां राज्य सरकारों के समन्वय से स्थापित की जाएंगी और स्थानीय दवा नियंत्रक के सहयोग से काम करेंगी। यह जानकारी एनपीपीए के एक अधिकारी ने दी।

एनपीपीए बाजार में दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ ही आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रहा है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.9.2014)**

न्यायालयों के फैसले

ठेका मजदूरों पर अपील खारिज

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के डीएपी संयंत्र में कार्यरत कामगारों के संबंध में वर्ष 2000 में ठेका मजदूरों को खत्म करने को ओडिशा सरकार की अधिसूचना ही लागू की जानी चाहिए। न्यायालय ने यह फैसला उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ की गई कंपनी की अपील को खारिज करते हुए सुनाया।

मजदूर संघ का तर्क था कि संबंधित मजदूर बगैर किसी बाधा के पिछले 15 सालों से वहां कार्यरत हैं। उन मजदूरों को समय-समय पर बदलने वाले ठेकेदारों से काम मिलता रहा। बदलावों के बावजूद कामगारों ने काम करना जारी रखा। फिर भी कंपनी ऐसी अधिसूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति पर सवाल उठाते हुए इस फैसले के खिलाफ अपील की। लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेशों को लागू करने और कामगारों को नियमित करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.9.2014)**

अनजान भाषा में लिखी वसीयत पूरी तरह मान्य

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि ऐसी भाषा में लिखी गई वसीयत जिससे वसीयत करने वाला अनभिज्ञ हो, वसीयत को निरस्त करने का कारण नहीं हो सकता। ऐसी वसीयत पूर्ण रूप से मान्य होगी और उस पर कानूनी सवाल नहीं उठाए जा सकते। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.9.2014)**

मास्टर प्लान बताने को बुलाई जाएगी बैठक

मास्टर प्लान में क्या-क्या है, यह बताने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग राजधानी में बैठक बुलाएगा। इसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों, बिल्डर एसोसिएशन और जाने-माने आर्किटेक्ट आमंत्रित होंगे। बैठक में मास्टर प्लान पर विमर्श होगा और फीडबैक ली जाएगी।

विभाग पटना प्लानिंग एरिया में शामिल किए गए प्रखंडों के नक्शे के लिए सॉफ्टवेयर भी विकसित करा रहा है। कोशिश यह है कि यदि कोई मास्टर प्लान में शामिल अपने इलाके के बारे में जानना चाहे तो जैसे ही उस प्रखंड का नाम डालेगा, पूरा नक्शा विस्तार से कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

यही नहीं प्लान में शमिल इलाकों के बड़े आकार के नक्शे छपवाकर संबंधित प्रखंडों में होर्डिंगों के जरिए इनको प्रदर्शित किया जाएगा। दरअसल मास्टर प्लान पर आपत्ति-सुझाव नहीं मिलने से विभाग की बेचैनी बढ़ी हुई है। यही कारण है कि विभाग अब इसके प्रचार-प्रसार को लेकर जागा है। इसके लिए अखबारों को विज्ञापन भी देने की योजना है।

"चैंबर के लोगों, बिल्डरों और आर्किटेक्ट की बैठक बुलाकर पटना मास्टर प्लान पर उनसे राय ली जाएगी। उनके सुझावों और आपत्तियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। बैठक जल्द बुलाई जाएगी।"
– सम्राट चौधरी, मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.9.2014)

बांका में खुलेगा इंडेन का बॉटलिंग प्लांट

गैस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें गैस के लिए अधिक परेशान नहीं होना होगा। भविष्य में उपभोक्ताओं की बढ़नेवाली संख्या को देखते हुए इंडेन ने बांका में नया बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्लांट के लिए कंपनी ने लगभग 30 एकड़ जमीन ले ली है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 4.9.2014)**

खराब खाना दिया, तो एक लाख जुर्माना

अब ट्रेन में खराब खाना मिला, तो ठेकेदार पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सफर के दौरान यात्री 18001111321 टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियम एक सितंबर से पूरे पूर्व मध्य रेल में लागू कर दिया गया है। **(साभार : प्रभात खबर, 2.9.2014)**

टोल टैक्स से ढीली होगी जेब

नयी फोर लेन सड़क पर बख्तियारपुर से पटना के बीच की दूरी घंटों की बजाय भले ही मिनटों में पूरी हो जाये, मगर इस पर यात्रा करने के लिए लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल इस सड़क का निर्माण पीपीपी मोड के तहत कराया गया। इसलिए इस सड़क पर यात्रा करने के लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा।

वाहनों के प्रकार	एक तरफ का टोल टैक्स	दोनों तरफ का एक दिन में
जीप, कार या लाइट मोटर	85 रुपये	35 रु० जबकि मासिक 2900 रु०
व्यावसायिक वाहन	135 रुपये	265 रुपये
भारी वाहन	400 रुपये	
6 एक्स एल के वाहन	630 रुपये	

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.9.2014)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(क. भ. नि. सदस्य कृपया ध्यान दें!!!)

- क्या आप अपने भ. नि. खाते के शेष की ताज़ा जानकारी चाहते हैं?
- क्या आप अपने मासिक अंशदान की प्राप्ति की पावती लेना चाहते हैं?
- क्या आप अपने भ. नि. खाते की पोर्टेबिलिटी चाहते हैं?

यदि हां तो

- epfindia.gov.in पर लॉग-ऑन करें और UAN Serivces के अंतर्गत यू.ए.एन. आधारित मेम्बर पोर्टल पर अपने खाते को एक्टिव करें।
- जिन सदस्यों का खाता एक्टिवेट हो चुका है, उनके लिए शीघ्र ही इन सेवाओं के साथ-साथ अन्य सेवाएं भी शुरू की जाएगी।

1800118005 • www.epfindia.gov.in / uanepf@epfindia.gov.in

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.9.2014)

हल्दिया-इलाहाबाद तक जल परिवहन की तैयारी

विश्व बैंक की 4,200 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कदम बढ़ाते हुए गंगा में जल परिवहन पर कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्राधिकरण अगले माह से वाराणसी से गाजीपुर के बीच गंगा में रेत का खनन कर तीन मीटर तक गहराई बढ़ाने का काम भी शुरू कर देगा। यह गहराई क्रूज व मालवाहक पोत के गंगा में चलने योग्य जलस्तर को बनाए रखने के लिए की जाएगी। साथ ही जलमार्ग प्राधिकरण बक्सर से इलाहाबाद के बीच कम से कम तीन बैराज भी बनाएगा। वाराणसी में जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताभ वर्मा ने गंगा में जल परिवहन परियोजना के संबंध में बताया कि हल्दिया से इलाहाबाद के बीच 1, 620 किलोमीटर जल परिवहन परियोजना को वर्ष1986 में ही संसद से हरी झंडी मिल गई थी लेकिन केंन्द सरकार ने इस बाबत बजट मुहैया नहीं कराया था जिससे इससे देरी हुई। अब विश्व बैंक सहायता मिलने से बात आगे बढ़ी है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.9.2014)**

विनम्र निवेदन माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि यदि उन्होंने अभी तक 2014-15 का सदस्यता शुल्क नहीं भेजा हो तो शीघ्र भेजने की कृपा करें।

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296